भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1273

(जिसका उत्तर सोमवार, 08 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है)

2000 रुपये के मुद्रा नोट का प्रचलन

1273. श्री वी. के. श्रीकंदन:

क्या वित्त **मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 5,817 करोड़ रुपये मूल्य के 2,000 रुपये के नोट अभी भी प्रचलन में हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उच्च मूल्य वर्ग के 2,000 रुपये के नोट को दो वर्ष से अधिक समय पहले प्रचलन से वापस ले लिया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 2,000 रुपये के नोट को बदलने की सुविधा 19 मई, 2023 से केवल आरबीआई के 19 निर्गत कार्यालयों में उपलब्ध है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा उठाए गए उपरोक्त कदमों/कार्रवाई के बावजूद देश में बड़ी संख्या में प्रतिबंधित नोट अभी भी प्रचलन में हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): 2000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट को नवंबर, 2016 में शुरू किया गया था, ताकि उस समय प्रचलन में सभी 500 रुपये और 1000 रुपये के बैंक नोटों की वैध मुद्रा के दर्जे को वापस लेने के बाद अर्थव्यवस्था की मुद्रा संबंधी आवश्यकता को तेजी से पूरा किया जा सके। 2000 रुपये के बैंक नोटों को शुरू करने का उद्देश्य तब पूरा हो गया जब अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए। 2000 रुपये के लगभग 89% नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और उनकी प्रयोज्यता की समय-सीमा समाप्ति के करीब हैं जो 4-5 वर्ष तक है। इसके अलावा, अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का स्टॉक जनता की मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की "स्वच्छ नोट नीति" के अनुसरण में, 19 मई, 2023 को ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को प्रचलन से वापस लेने का निर्णय लिया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, प्रचलन में ₹2,000 बैंकनोटों का कुल मूल्य, जो 19 मई, 2023 को कारोबार के अंत में ₹ 3.56 लाख करोड़ था, जब मुद्रा की निकासी की घोषणा की गई थी, दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 को कारोबार बंद होने पर घटकर ₹ 5,817 करोड़ हो गया है।

(ग) और (घ): "₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोट - संचलन से हटाया जाना - वैध मुद्रा बने रहेंगे" विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक के प्रेस प्रकाशनी दिनांक मई 19, 2023 द्वारा सूचित किया गया था कि ₹ 2000 मूल्य के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे ।
(https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=55707).

₹2000 बैंक नोटों के विनिमय की सुविधा 19 मई, 2023 से रिज़र्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में उपलब्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम कार्यालय भी 09 अक्टूबर, 2023 से व्यक्तियों/संस्थाओं से 2000 रुपए के बैंक नोट स्वीकार कर रहे हैं। । इसके अलावा, जनसाधारण देश के किसी भी डाकघर से भारतीय डाक के माध्यम से 2000 रुपये के बैंक नोट अपने बैंक खातों में जमा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के किसी भी निर्गम कार्यालय में भेज रहे हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, 19 मई, 2023 तक प्रचलन में ₹ 2,000 के 98.38 प्रतिशत बैंक नोट 14.11.2025 तक वापस आ गए हैं।

***